

2015/371

21/1-2021
प्रशासन गांवों के रजि अभियान-2021

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड कुम्भलगढ़ जिला राजसमंद
विषय:- राजस्व रेकॉर्ड सुरस्ती नावत अनिश्चित राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136।
द्वारा:- पटवारी पटवार हल्का राजसमंद
महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का <u>राजसमंद</u> राजसमंद ग्राम <u>ली 191011</u> खाता संख्या <u>136137</u> खसरा संख्या <u>445, 446, 447, 448</u> रकबा हेक्टेयर में <u>787+644 =</u>	<u>राजसमंद पुषा हल्का</u> <u>राजसमंद पुषा हल्का</u> <u>राजसमंद पुषा हल्का</u>	<u>राजसमंद पुषा हल्का</u> <u>राजसमंद पुषा हल्का</u> <u>राजसमंद पुषा हल्का</u>

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

राजसमंद
हस्ताक्षर आवेदक

~~हल्का पटवारी व मू.अ.नि. की टिप्पणी मय उपर्युक्त अनुसंधान (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरान्त) संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्धि को राजस्थान मू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार कुम्भलगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।~~

25/6/2021
1/11/21

हस्ताक्षर तहसीलदार

कोषालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला राजसमंद
दिनांक:-

प्रार्थी राजसमंद निवासी राजसमंद के आवेदन तथा हल्का पटवारी व मू. अमिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार राजसमंद की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान मू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार कुम्भलगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

25/6/21
उपखण्ड अधिकारी
राजसमंद
दिनांक:-

कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/PDU/04
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
राजसमंद